


कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा के निम्नलिखित व्याख्याता का उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या 05 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-


क्र. सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान	विषय	अवधि	स्थान जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	2	3	4	5
01	श्री देवेन्द्र सिंह मीणा – राउमावि खारची, पाली	व्याख्याता – राजनीति विज्ञान	माह अक्टुबर 2018 से नवम्बर 2018 तक	राउमावि चवाडिया, पाली में राजनीति विज्ञान के रिक्त पद से

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-6/वेतन व्यवस्था/रावि/2017 दिनांक-04/12/2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- 1- संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
- 2- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
- 3- संबंधित संस्था प्रधान.....
- 4- अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 4- संबंधित कार्मिक.....
- 5- कार्यालय प्रति ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर